न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 172/2019

1. विकास आयु 29 साल आ0 प्यारेलाल जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. कमला बाई आयु 6? साल पत्नी प्यारेलाल जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादीगण

बनाम

1. प्यारेलाल आयु 68 साल आ0 घांसीलाल जाति महाजन निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादीगण की ओर सें श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री महावीर प्रसाद बागडी एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 13.12.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 28.11.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 338 एवं 306 की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 265 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 268 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 269 रकबा 0.15 है0, खसरा संख्या 276 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 277 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 278 रकबा 0.17 है0, खसरा संख्या 2246 रकबा 0.85 है0, खसरा संख्या 2247 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 2365 रकबा 2.91 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम व माल जैथल पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। वादीगण विकास व कमला बाई है जो वादीगण संख्या 1 व 2 का हित व सुरक्षा संयुक्त ही है। आपस में कोई विरोध नही है। इस कारण उक्त दावा वादी व माता का घोषणा का पेश

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

किया गया है कि मूल पुरूष घांसीलाल है। घांसीलाल का पुत्र प्यारेलाल है और प्यारेलाल का पुत्र विकास है तथा वादी संख्या 2 प्यारेलाल की पत्नी कमला बाई है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी संख्या 2 भी पुत्र के साथ बंटवारा कराने की अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने सें उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/3–1/3 हिस्से का बटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादीगण को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 11.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 338 एवं 306 की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 265 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 268 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 269 रकबा 0.15 है0, खसरा संख्या 276 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 277 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 278 रकबा 0.17 है0, खसरा संख्या 2246 रकबा 0.85 है0, खसरा संख्या 2247 रकबा 0.05 है0,खसरा संख्या 2365 रकबा 2.91 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम व माल जैथल पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

विकास v/s प्यारेलाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 172/2019

वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद बागडी की और सें उपस्थिति में आज दिनांक 13.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 338 एवं 306 की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 265 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 268 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 269 रकबा 0.15 है0, खसरा संख्या 276 रकबा 0.40 है0, खसरा संख्या 277 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 278 रकबा 0.17 है0, खसरा संख्या 2246 रकबा 0.85 है0, खसरा संख्या 2247 रकबा 0.05 है0,खसरा संख्या 2365 रकबा 2.91 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम व माल जैथल पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3–1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/12/2019 को जारी की गई।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner